न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/443

1. मृतक नयाज मोलाना उर्फ नियाज अहमद आत्मज अब्दुल समद खॉ जाति मुसलमान निवासी ग्राम रंबतालाब उर्फ काला तालाब तहसील लाडपुरा जिला कोटा मरहूम जरिये कायममुकामान :–
   1/1. इरफान अहमद ।
   1/2. उस्मान गनी ।
   1/3. मोहम्मद दस्तगीर पिसरान मरहूम नयाज मोलाना उर्फ नियाज अहमद जी जाति मुसलमान निवासीगण ग्राम रंगतालाब उर्फ काला तालाब तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. मोहम्मद हनीफ उर्फ हनीफ मोहम्मद आत्मज अब्दुल समद खॉ जाति मुसलमान निवासी ग्राम रंगतालाब उर्फ काला तालाब तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. मन्दिर श्री देवजी महाराज वाके ग्राम रंगलालाब उर्फ काला तालाब तहसील लडपुरा जिला कोटा जरिये तथाकथित पुजारी /व्यवस्थापक रतनलाल उर्फ भंवर लाल जी जाति चोबदार मेघवाल निवासी ग्राम सोगरिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 28.09.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.06.2018 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र बाबत् निर्णय दिनांक 05.06.2017 प्रकरण संख्या 17/12 बउनवान मूर्ति मंदिर देवजी महाराज बनाम मोलाना नियाज, हनीफ वगै0 के अनुसार भूमि को रिसीवरी से मुक्त कर पालना हेतु तहरीर तहसीलदार लाडपुरा (रिसीवर) के नाम जारी करने हेतु प्रस्तुत कर निवेदन

किया कि माननीय न्यायालय द्वारा वाद संख्या 17/12 में आराजी खसरा नम्बर 164 रकबा 0.63 हैक्टर भूमि पर तहसीलदार लाडपुरा का रिसीवर नियुक्त कर भूमि कब्जे राज ली गई थी और तद्उपरान्त उस पर रिसीवरी में नीलामी द्वारा फसल काश्त होती आ रही है । माननीय न्यायालय द्वारा वाद में दिनांक 05.06.2017 को निर्णय पारित करते हुए उक्त वाद खारिज फरमा दिया गया जिसके विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी या अन्य किसी अपीलीय न्यायालय में कोई अपील विचाराधीन नहीं है और न ही किसी न्यायालय का कोई स्थगन आदेश प्रभावी है । उक्त भूमि प्रार्थीगण के कब्जे से रिसीवर में ली गई थी और वाद खारिज होने पर प्रार्थीगण ही उक्त भूमि को वापस कब्जे में लेने के अधिकारी हैं तथा रिसीवर में भी भूमि पर प्रार्थीगण ही काश्त करते आ रहे हैं, और रिसीवरी की राशि भी प्रार्थीगण वापस प्राप्त करने के अधिकारी हैं ।

3. अतः वादग्रस्त आराजी रिसीवर मुक्त फरमाया जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 22.06.2018 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.06.2018 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 का उक्त वाद दिनांक 05.06.2017 को खारिज फरमा दिया गया था । उक्त आदेश के विरूद्ध कोई कार्यवाही अपील, नजरसानी अथवा प्रार्थना पत्र विचाराधीन नहीं है । उक्त निर्णय अंतिम निर्णय हो चुका है । उक्त वाद फैसल हो जाने से रिसीवर नियुक्ति का आदेश भी स्वतः ही प्रभावहीन हो चुका है तथा कानूनन रिसीवर स्वतः ही उनमोचित (डिसचार्ज) हो चुका है । रिसीवर प्रभावशील नहीं रहता है इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.06.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का पेश कर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज को रिकॉर्ड पर लिये जाने का निवेदन किया ।

8. हमने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का अवलोकन किया एवं प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया । दस्तावेज माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल के निर्णय दिनांक 01.02.2018 की प्रमाणित प्रति है जो प्रकरण से सम्बन्धित है । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज को रिकॉर्ड पर लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी का दावा दिनांक 05.06.2017 को खारिज हो चुका है । ऐसी स्थिति में अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के

तहत जो रिसीवर नियुक्त किया गया था उसका भी स्वतः ही निस्तारण हो चुका है । अधीनस्थ न्यायालय मेंउक्त वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में कोई वाद विचाराधीन नहीं है । ऐसी स्थिति में रिसीवर राशि प्रार्थीगण अपीलान्ट को वापस दिलानी चाहिए थी परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर कोई निर्णय पारित नहीं किया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने कथनों की पुष्टि में एआईआर 1966 (एससी) पेज 948, 1975 (4) एससीसी पेज 465, आरआरडी 1990 पेज 355 उद्धरत की ।

10. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के खिलाफ अपील मेन्टेनेबल नहीं है । अपीलान्ट को सक्षम न्यायालय में रिवीजन करनी चाहिए थी । अधीनस्थ न्यायालय ने मूर्ति मंदिर के हितों की रक्षार्थ निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.06.2018 बहाल रखा जावे ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अनुसार दिनांक 28.04.2017 को वादी जो कि मूर्ति मंदिर देवजी महाराज वाके ग्राम रंगतालाब उर्फ काला तालाब तहसील लाडपुरा जरिये पुजारी/व्यवस्थापक हैं की तरफ से उनके अभिभाषक द्वारा नॉट प्रेस अंकित किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 05.06.2017 को वादी के उपस्थित नहीं आने और वादी के अभिभाषक द्वारा दिनांक 28.04.2017 को नॉट प्रेस किये जाने के आधार पर दावा खारिज किया है ।

12. प्रार्थी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र बाबत् आराजी को रिसीवर से मुक्त करने हेतु प्रस्तुत किया है जिसे दावे की पत्रावली में संलग्न किया गया है और इसी पत्रावली में इसका निर्णय पारित किया गया है जबकि इस प्रार्थना पत्र को अधीनस्थ न्यायालय में अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की पत्रावली में दर्ज किया जाना चाहिए था । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के निर्णय की प्रति भी पत्रावली में संलग्न नहीं है । प्रकरण में विधिक निर्णय पारित किये जाने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र में पारित निर्णय का अवलोकन किया जाना आवश्यक है । साथ ही अधीनस्थ न्यायालय ने इस प्रार्थना पत्र पर गुणावगुण के आधार पर कोई निर्णय पारित नहीं किया है जो आवश्यक है ।

13. यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि चूँकि दावा मूर्ति मंदिर की ओर से जरिये पुजारी/व्यवस्थापक पेश किया गया है और मूर्ति मंदिर शास्वत नाबालिग होते हैं उनकी ओर से कोई न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है तो न्यायालय की भी यह जिम्मेदारी बनती है कि वह किसी को भी मूर्ति मंदिर की ओर से नेस्ट फ्रेण्ड नियुक्त कर अग्रिम कार्यवाही करें । यह कार्यवाही भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं की गई है । इस समस्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.06.2018 त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है ।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.06.2018 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र को अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सम्बन्धित पत्रावली में रिकॉर्ड पर लेकर गुणावगुण के आधार पर निस्तारित करें । पैरा संख्या 13 में किये गये विवेचन, राज्य सरकार द्वारा मूर्ति मंदिर के हितों की रक्षार्थ जो समय–समय पर परिपत्र जारी किये गये हैं उनका भी ध्यान रखते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 12.11.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

15. निर्णय आज दिनांक 28.09.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

28.9.18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा